

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र करना

प्रकरण सं:-16/17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

206

दिनांक:-29.5.17

आदेश

प्रार्थी/अपीलाण्ट के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/अपील पत्र एवं पटवारी करना व भूअ.नि.भुंका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी	94	389,396,397	विरमा पि.दीपा	पीराराम पुत्र दीपाराम <u>शेष बद्रुस्तर</u>

जि.सि.
29/5/17
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 29.5.17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/ 207-09
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पीराराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

जि.सि.
29/5/17
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी